



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2014/पौष 19, 1935

No. 74]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSHA 19, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2013

का.आ. 74(अ).—जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद्, संशोधन अध्यादेश, 2013 की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06 नवम्बर, 2013 को भारतीय चिकित्सा परिषद् का पुनर्गठन किया गया;

जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 3 की उप-धारा (1) (ख) के उपबंध के अनुपालन में डॉ केशव कुमार अग्रवाल को एम जे पी रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली के प्रतिनिधि के रूप में दिनांक 06 नवंबर 2013 से भारतीय चिकित्सा परिषद् का सदस्य बनाया गया;

जबकि भारतीय चिकित्सा परिषद् ने सूचित किया है कि डॉ केशव कुमार अग्रवाल, जो आई एम सी अधिनियम, 1956 की धारा 3(1)(ख) के तहत एम जे पी रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार विरोधी अदालत सी बी आई, लखनऊ में दायर केस नं आर सी 0062010 ए 0014 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अतः आई एम सी संशोधन द्वितीय अध्यादेश, 2013 की धारा 30 क (2) में निहित उपबंधों के अनुसार, डॉ केशव कुमार, जो आई एम सी अधिनियम की धारा 3(1)(ख) के तहत एम जे पी रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अब भारतीय चिकित्सा परिषद् के सदस्य नहीं हैं;

अतः अब आई एम सी (संशोधन) अध्यादेश, 2013 की धारा 30 क (2) के उपबंध के अनुपालन में यह समझा जाएगा कि डॉ केशव कुमार अग्रवाल, जो एम जे पी रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, दिनांक 26 दिसंबर 2013 से भारतीय चिकित्सा परिषद् के सदस्य नहीं हैं।

[सं. वी -11013/6/2013-एम ई पी -1]

डॉ. विश्वास मेहता, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: दिनांक 9 जनवरी, 1960 के का.आ.138 के तहत भारत के राजपत्र में मुख्य अधिसूचना प्रकाशित की गई थी और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश 2013 (2013 का 11) के तहत अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th December, 2014

S.O. 74(E).—Whereas on 6th November, 2013, the Medical Council of India was re-constituted in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2013;

Whereas in pursuance of the provision of sub-section (1)(b) of Section 3 of the Indian Medical Act, 1956 (102 of 1956) Dr. Keshav Kumar Aggarwal was elected as a member of the Medical Council of India representing MJP Rohilkhand University, Bareilly with effect from 06-11-2013;

Whereas the Medical Council of India has informed that Dr. Keshav Kumar Aggarwal who is representing MJP Rohilkhand University, Bareilly under section 3(1)(b) of IMC Act, 1956 has been charge sheeted by the Central Bureau of Investigation (CBI) in the case No. RC0062010A0014 filed in the Court of Special Judge, Anti-corruption, CBI, Lucknow. Therefore, Dr. Keshav Kumar Aggarwal has ceased to be a member of Medical Council of India representing MJP Rohilkhand University, Bareilly under section 3(1)(b) of IMC Act, 1956 as per the provisions contained section 30A(2) of IMC (Amendment) Second Ordinance, 2013.

Now, therefore, in pursuance of the provision of section 30A(2) of IMC (Amendment) Second Ordinance, 2013, Dr. Keshav Kumar Aggarwal shall be deemed to have ceased to be a member of the Medical Council of India representing MJP Rohilkhand University, Bareilly with effect from 26-12-2013.

[No. V-11013/6/2013-MEP-I]

Dr. VISHWAS MEHTA, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal notification was publish in the Gazette of India *vide* number S.O. 138 dated the 9th January, 1960 and was last amended *vide* Indian Medical Council (Amendment) Second Ordinance, 2013 (11 of 2013).